राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– सनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 24 प्रा.पत्र

1– पारसी D/o लादु रंगर [illegible] निवासी- माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:45:07 IST
Reason: SelfAttested

–प्रार्थी

बनाम

1– मिनाल मुनिजा D/o विनित नाहर निवासी- मुनिसा हाउस वे.वी.के. महावीर कॉलोनी भीलवाड़ा (राज.) वर्तमान (हस्तांकित प्रार्थना पत्रानुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 21-5-24

आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धुवाला पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं0 62,63,64,65,66 कुल किता 05 रकबा 3.3260 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करवाये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-04-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अन्य काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम धुवाला पटवार हल्का धुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 62,63,64,65,66 कुल किता 05 रकबा 3.3260 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमों की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 1700 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके पर जैसी की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल